

**जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए संशोधित प्रक्रिया -  
दिनांक 18 नवंबर, 2014 से प्रभावी**

- (i) डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना सं. 73 (RE-2013)/2009-2014, नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2014 का संदर्भ लें, जो पूर्व की सार्वजनिक सूचना संख्या 72 (RE-2003)/2002-2007 दिनांक 21.07.2004 के अधिक्रमण में प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- (ii) एक उत्पाद को "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वाणिज्य विभाग के जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी लेनदेन प्रमाण पत्र उनके पास हो।
- (iii) निर्यात के लिए "जैविक उत्पाद" केवल तभी प्रमाणित होंगे जब समय-समय पर संशोधित एपीडा की वेबसाइट [www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic\\_products.htm](http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic_products.htm) पर उपलब्ध "जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी)" दस्तावेज़ में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो।
- (iv) नई उत्पाद श्रेणियां उत्पादन के मानक जैसे पशु उत्पाद, जलीय कृषि और वस्त्र एनपीओपी की धारा 3 में शामिल किए गए हैं।

संतोष सारंगी  
(अध्यक्ष)